## न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
## अपील सूचना अधिकार संख्या 72 / 2025(GCMS 2025/346)

**श्री छगनलाल छाबड़ा** (Retd. SE) बी–18 आनन्द विहार, वार्ड नम्बर 38, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94146–04294)

**बनाम**

**अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**04.03.2026**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री छगनलाल छाबड़ा आज** स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2025 से तहत अति. जिला कलक्टर से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से बिन्दु संख्या 01, 03, 04 एवं 05 सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने एवं शास्ति लगाने की प्रार्थना की है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** श्री छगन लाल छाबडा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

1. दिनांक 20.02.2025 को जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रार्थी द्वारा दिए गए आवेदन की प्रति (परिवाद प्राप्ति रसीद संख्या 93)
2. उपरोक्त आवेदन जांच हेतु अति. जिला कलक्टर (एडीएम) विजिलेंस, को भेजे गए पत्र की प्रति।
3. एडीएम विजिलेंस, श्रीगंगानगर द्वारा भेजे गए प्रत्युत्तर प्रतिवेदन की प्रति मय संलग्नक
4. उपरोक्त पत्र जांच प्रतिवेदन पर आपके द्वारा प्रार्थी के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही
5. की गई कार्यवाही से प्रार्थियों को सूचना देने की प्रति।

**लोक सूचना अधिकारी** एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक क्रमांक आरटीआई / 63 / 2025 / 394 दिनांक [illegible] से प्रार्थी का मूल आवेदन पत्र सहायक निदेशक, लोक [illegible] श्रीगंगानगर को [illegible]रित कर दिया था और उसकी सूचना प्रार्थी को भी [illegible] लोक सेवाएं कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई. / 2024 / 998 दि[illegible] 09.06.2025 से अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर को प्रार्थी के बिन्दु संख्या 01 व 03 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**अपील सूचना का अधिकार संख्या 72/2025**
(GCMS No. 2025/346)
छगनलाल छाबडा बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

सूचना हेतु हस्तान्तरित कर दी और बिन्दु संख्या 02, 04, 05 की सूचना निम्नानुसार प्रार्थी को प्रेषित की है:

| बिन्दु संख्या | चाही गई सूचना | प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 2 | दिनांक 20.02.2025 को जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रार्थी द्वारा दिए गए आवेदन जांच हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजिलेंस को भेजे गए आवेदन पत्र की प्रति। | संलग्न है। |
| 4 | उपरोक्त पत्र पर आपके द्वारा प्रार्थी के अभ्यावेदन के संबंध में की गई कार्यवाही | इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। |
| 5 | की गई कार्यवाही से प्रार्थियों को सूचना देने की प्रति। | इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। |

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/3201 दिनांक 29.10.2025, 3536 दिनांक 18.11.2025 **(स्मरण पत्र–1)** एवं 3943 दिनांक 05.12.2026 **(स्मरण पत्र–2)** से लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को अपील का जवाब भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु उनके द्वारा आदिनांक तक अपील का जवाब प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

**<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**

**परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्ति के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 72/2025
(GCMS No. 2025/346)
छगनलाल छाबडा बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

चूंकि अति. जिला **कलक्टर** (सतर्कता), **श्रीगंगानगर** द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया हो, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा प्रार्थना पत्र का प्रार्थी को कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर **को मामला बिन्दु संख्या 01 व 03 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा वांछित सूचना, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर, अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानुसार प्रेषित की जावे।** आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर एवं सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं **अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested